मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय महत्व का संस्थान)
Maulana Azad National Institute of Technology, Bhopal
(An Institution of National Importance under Ministry of Education, Govt. of India)

संपदा/2026/1248 दिनाँक: - 15/01/2026

// अधिसूचना//

मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रोद्यौगिकी संस्थान भोपाल के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी, जो कि संबंधित आवास की अर्हता रखते हैं, संपदा अनुभाग में निर्धारित प्रपत्र में **दिनाँक: - 29/01/2026 को अपरान्ह 05:00 बजे** तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रति-पत्र तथा अधिसूचना संस्थान की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। रिक्त आवासों की सूची निम्न है : -

पूर्व में संपदा अनुभाग द्वारा आवास आवंटन अधिसूचना क्रमांक संपदा/2026/1245 दिनांक 14/01/2026 जारी की गई थी, जिसे निरस्त कर दिया गया है।

क्र.	टाइप /आवास क्रमांक	कुल रिक्त आवास
1.	III/28	01
2.	IV/6, IV/11 (IV/7 आवास रिक्त होने की स्थिति में Subject to Vacation)	03
3.	VI/8, VI/52 (VI/16, VI/28, VI/55, VI/65, VI/66 आवास रिक्त होने की स्थिति में Subject to Vacation)	07
4.	VII/4, VII/10, VII/11, VII/23, VII/36, VII/38, VII/40, VII/41, VII/44, VII/46, VII/48	11
5.	VIII/5, VIII/14, VIII/16, VIII/18, VIII/19 VIII/25, VIII/26, VIII/28, VIII/29, VIII/30, VIII/31, VIII/32, VIII/47, VIII/48, VIII/49, VIII/50, VIII/54, VIII/55, VIII/56, VIII/62, VIII/63, VIII/64, VIII/66 (VIII/4 आवास रिक्त होने की स्थिति में Subject to Vacation)	24

नोट: -

1. अधूरे एवं देरी से प्राप्त आवेदनों को आवेदन की सूची में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
2. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को आवंटन में टाइप - VI, VII, VIII, के आवासों में संस्थान में लागू संपदा आवास आवंटन नियम के अनुसार आरक्षण दिया जायेगा।
3. एक से अधिक टाइप के आवासों के लिए अलग - अलग आवेदन स्वीकार किये जाएगें।
4. आवास आवंटन सम्बन्धी कोई भी शिकायत, संपदा कार्यालय में आवास आवंटन की अनुशंसा की दिनांक से तीन दिवस तक दर्ज़ कराएं।
5. पूर्व में किये आवेदन इस आवास आवंटन प्रक्रिया में शामिल नहीं किये जाएगें।

गौरव द्विवेदी 16/01/26
उप-कुलसचिव (संपदा)

प्रतिलिपि: -

- सभी विभागाध्यक्ष / अनुभाग प्रमुख - अपने सभी कर्मचारियों को अवगत कराने हेतु।
- निज सहायक निदेशक - निदेशक को सूचनार्थ।